Purva Mimaansa | Refereed | Peer Reviewed
ISSN: 0976-0237 | Volume 14, Issue September 2023 | Impact Factor 5.320

रेल अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित अपराध एवं दण्ड का समीक्षात्मक अध्ययन

प्रवीण कुमार शुक्ला
सहायक आचार्य, विधि विभाग, विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज, नवाबगंज कानपुर–उ0प्र0
एवं
अकादमिक काउंसलर, इंदिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली

सारांश

'अपराध' शब्द को अंग्रेजी भाषा में "क्राइम (crime)" कहा जाता है। यह लैटिन भाषा के शब्द "क्रिमेन'' (crimen) से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'निर्णय देना' है। ग्रीक भाषा में 'क्रिमेन' शब्द का अर्थ "अलगाव" है। और संज्ञा के रूप में 'अपराध' शब्द किसी निर्णय का बोध कराता है। अपराध एक ऐसा कार्य या लोप है जिससे राज्य की शांति भंग होती है, या हिंसा उत्पन्न होती है, या साधारण जनजीवन प्रभावित होता है, और जिसके लिए विधि में निर्धारित दण्ड की व्यवस्था की गयी है। अपराध राज्य या व्यक्ति अथवा दोनों के विरुद्ध हो सकता है। कोई व्यक्ति रेल अधिनियम, 1989 की धारा 137–139, धारा 141–147, धारा 153–157, धारा 159–167 और धारा 172–176 तक में वर्णित कोई अपराध कारित करता है, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वारण्ट या अन्य किसी लिखित प्राधिकार के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी धारा 137 से 139, धारा 141 से 147, धारा 153 से 157, धारा 159 से 167 और धारा 172 से 176 तक में वर्णित अपराध से भिन्न कोई अपराध के किये जाने की जाँच कर सकेगा। तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

मुख्य शब्दः रेलवे, रेल अधिनियम,रेल सेवक, अपराध, जुर्माना, कारावास, दण्ड, यात्री, पास या टिकट आदि।

परिचय

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के निरसित किये जाने के पश्चात् रेल अधिनियम, 1989 केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की नियत तिथि 01.07.1990 से प्रवर्तनीय है। वर्तमान में यह अधिनियम अब मूल अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में वर्ष 2003 में रेल (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सुरक्षा सम्बन्धी जवाबदेही तय करते हुये रेलवे सुरक्षा बल को अधिक जिम्मेदारी सौंपी गयी। अधिनियम के प्रवर्तन हेतु भिन्न–भिन्न

उपबन्धों के लिये भिन्न–भिन्न तारीख नियत की गयी है।

रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अपराध एवं दण्ड

'अपराध' शब्द को अंग्रेजी भाषा में "क्राइम (crime)" कहा जाता है। यह लैटिन भाषा के शब्द "क्रिमेन (Crimen) से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ 'निर्णय देना' होता है। ग्रीक भाषा में क्रिमेन शब्द का अर्थ "अलगाव" है और संज्ञा के रूप में यह शब्द किसी निर्णय का बोध कराता है। अपराध एक ऐसा कृत्य या लोप है जो भारतीय दण्ड संहिता या यथा परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अन्तर्गत दण्डनीय है। ऐसा कृत्य या कार्य जिसके करने से किसी स्थान विशेष के विधि का उल्लंघन होता है, उसे अपराध कहा जाता है। विधि द्वारा निषिद्ध घोषित किये गये मानव आचरणों को 'अपराध' की श्रेणी में रखा जाता है। अपराध एक ऐसा कार्य या लोप है जिससे राज्य की शांति भंग होती है या हिंसा उत्पन्न होती है या साधारण जनजीवन प्रभावित होता है और जिसके लिए विधि में निर्धारित दण्ड की व्यवस्था की गयी है। अपराध राज्य या व्यक्ति अथवा दोनों के विरुद्ध हो सकता है।

रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत कतिपय अपराधों का वर्णन किया गया है:

1. कोई व्यक्ति रेल के किसी सवारी डिब्बे में अवैध रूप से प्रवेश करता है, यात्रा करता है या ऐसे किसी पास या टिकट (जो पूर्वतन यात्रा में पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है), या वापसी टिकट की दशा में उसके आधे को, जो पहले ही ऐसे उपयोग में लाया जा चुका है, उपयोग में लाता या प्रयत्न करता है, तो वह छह मास की अवधि के कारावास से, या रु1000/ तक जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। **(धारा 137)**

2. यदि कोई यात्री रेल सेवक द्वारा माँग किये जाने पर अपना पास या टिकट परीक्षा या परिदान के लिये पेश नहीं करता, या इंकार करता, या रेलगाड़ी में यात्रा करता है, तो वह उस दूरी के लिये जहाँ तक वह यात्रा कर चुका है, एक तरफ के साधारण किराये के, या जहाँ उस स्टेशन के बारे में जहाँ से वह चला था, कोई सन्देह है, वहाँ उस स्टेशन से, जहाँ से रेलगाड़ी आरम्भ होकर चली थी, एक तरफ के साधारण किराये के, या यदि रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकटों की रेलगाड़ी के आरम्भ होकर चलने के पश्चात् परीक्षा की जा चुकी है, तो उस स्थान से जहाँ टिकटों की अन्तिम बार परीक्षा की गयी थी, एक तरफ के साधारण किराये के अतिरिक्त संदेय रकम के बराबर राशि, या रु 250/ (दोनों में से जो भी अधिक हो) देने के लिये दायी होगा। यदि ऐसे यात्री के पास अनुदत्त प्रमाणपत्र है, तो कोई अधिक प्रभार संदेय नहीं होगा। यदि कोई यात्री

PURVA MIMAANSA

ऐसे सवारी गाड़ी में यात्रा आरम्भ करता, या यात्रा करने का प्रयत्न करता है, जो उस श्रेणी से, जिसके लिये उसने पास या टिकट अभिप्राप्त किया है, उच्चतर श्रेणी का है, या किसी सवारी डिब्बे में या उस पर अपने ऐसे पास या टिकट द्वारा प्राधिकृत स्थान से आगे यात्रा करता है, तो वह किसी रेल सेवक द्वारा माँग किये जाने पर उसके द्वारा दिये गये किराये और उसके द्वारा की गयी यात्रा के सम्बन्ध में संदेय किराये के बीच के अन्तर और संदेय रकम के बराबर राशि या रु 250/(दोनों में से जो भी अधिक हो) के संदाय के लिए दायी होगा। यदि ऐसे यात्री के पास अनुदत्त प्रमाणपत्र है, तो कोई अधिक प्रभार संदेय नहीं होगा। अधिक प्रभार और किराया, या अधिक प्रभार और किराये का कोई अन्तर देने के दायित्वाधीन कोई यात्री उसकी माँग किये जाने पर उसे देने से इंकार करता है, तो प्राधिकृत रेल सेवक ऐसी संदेय राशि की वसूली के लिये, यथास्थिति, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम अथवा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा, मानो वह जुर्माना हो और यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि वह राशि संदेय है, तो वह उसे जुर्माना के रूप में वसूल किये जाने का आदेश देगा और यह आदेश भी दे सकेगा कि उक्त संदाय के लिए दायी व्यक्ति संदाय न करने पर दोनों में से किसी भाँति के कारावास, जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी किन्तु दस दिन से कम की नहीं होगी, भोगेगा। **(धारा 138)**

3. निर्दिष्ट किराया और अधिक प्रभार न देने वाला, या देने से इंकार करने वाला कोई व्यक्ति किसी रेल सेवक द्वारा हटाया जा सकेगा। उस व्यक्ति को हटाने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को सहायता हेतु बुलाया जा सकेगा। इससे यह कदापि नहीं समझा जायेगा कि उच्चतर श्रेणी के सवारी डिब्बे से हटाया गया कोई व्यक्ति उस श्रेणी के सवारी डिब्बे में, जिसके लिये उसके पास 'पास या टिकट' है, अपनी यात्रा जारी रखने से प्रवारित करती है। किसी स्त्री या बालक (जिसके साथ कोई पुरुष यात्री नहीं है) को किसी जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन पर, सिविल जिले के मुख्यालय स्थित रेलवे स्टेशन पर, और केवल दिन में ही विस्थापित किया जायेगा। **(धारा 139)**

4. यदि कोई यात्री युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण के बिना खतरे की जंजीर का प्रयोग करता है, तो वह एक वर्ष तक की अवधि के कारावास से, या रु 1000/तक का जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा। प्रथम बार अपराध के लिये दोषसिद्धि की दशा में जुर्माना रु 500/ से कम का नहीं होगा; और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दशा में तीन मास के कारावास से कम के कारावास से दण्डनीय नहीं होगा। **(धारा 141)**

5. रेल सेवक या अभिकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति,कोई टिकट या वापसी टिकट का कोई भी आधा भाग विक्रय करता है, या उसका प्रयत्न करता है, या कोई ऐसा टिकट, जिस पर सीट या बर्थ का आरक्षण किया जा चुका है, या वापसी टिकट का कोई भी आधा भाग या सीजन टिकट किसी

को हस्तान्तरण करता है, या हस्तान्तरण करने का प्रयत्न करता है, जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति उसे लेकर यात्रा कर सके, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो रु 500/तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा तथा वह टिकट भी जब्त कर लिया जायेगा। रेलसेवक या अभिकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई टिकट क्रय करता या अपने कब्जे में लेता है, तो वह तीन मास तक की अवधि के कारावास से, और रु 500/ तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा, और यदि किसी पूर्वोक्त टिकट का क्रेता या धारक उससे यात्रा करता, या यात्रा करने का प्रयत्न करता है, तो उसका वह टिकट जब्त कर लिया जायेगा, और उसके बारे में यह समझा जायेगा कि वह बिना उचित टिकट के यात्रा कर रहा है, और उसके विरुद्ध धारा 138 के अधीन कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी। **(धारा 142)**

6. रेल सेवक या अभिकर्ता से भिन्न कोई, व्यक्ति रेलगाड़ी में यात्रा के लिये आरक्षित स्थान के लिये टिकट उपाप्त करने और प्रदाय करने का कारोबार करता है, या उसका प्रयत्न करता है, तो वह तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास से, या रु 10,000/ तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा और उसका वह टिकट जब्त कर लिया जायेगा। तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा दण्ड एक मास की अवधि के कारावास से, या रु 5000/ के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण (चाहे ऐसा अपराध किया गया है अथवा नहीं) करेगा, वह उसी दण्ड से दण्डनीय होगा, जो उस अपराध के लिये उपबंधित है। **(धारा 143)**

7. कोई व्यक्ति रेल प्रशासन द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) में दिये गये निबन्धनों और शर्तों के विपरीत किसी सवारी डिब्बे में, या रेल के किसी भाग पर किसी ग्राहकी के लिए संयाचना करता है, या किसी वस्तु के विक्रय के लिये फेरी लगाता है, या उसे प्रदर्शित करता है, तो वह एक वर्ष तक अवधि के कारावास से, या रु 2000/ तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में ऐसा दण्ड रु1000/ के जुर्माने से कम का नहीं होगा।

यदि कोई व्यक्ति रेल के किसी सवारी डिब्बे में, या किसी रेल स्टेशन पर भीख माँगता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास से या रु 2000/ तक जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। **(धारा 144)**

8. यदि किसी रेल के सवारी डिब्बे में या रेल के किसी भाग पर कोई व्यक्ति मत्तता की स्थिति

में कोई न्यूसेंस या अशिष्ट कार्य, गाली गलौच या अश्लील भाषा का उपयोग करता है, या जानबूझकर रेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुख–सुविधा में बाधा पहुँचाता है, तो वह किसी रेल सेवक द्वारा रेल से हटाया जा सकेगा और उसके पास या टिकट के जब्ती के अतिरिक्त, छह मास तक का कारावास से या रु 500/ तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा। प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, रु 100/ के जुर्माने से कम का नहीं होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दशा में एक मास के कारावास से और रु 250/ के जुर्माने से कम का नहीं होगा। **(धारा 145)**

9. यदि कोई व्यक्ति किसी रेल सेवक के कर्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर बाधा पहुँचाता है, तो वह छह मास तक की अवधि के कारावास से, या रु 1000/ तक के जुर्माने से,या दोनों से, दण्डनीय होगा। **(धारा 146)**

10. यदि कोई व्यक्ति किसी रेल या उसके किसी भाग में विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना प्रवेश करता है, विधिपूर्ण रूप से प्रवेश करने के पश्चात् सम्पत्ति का दुरुपयोग करता है, या वहाँ से जाने से इंकार करता है,तो वह छह मास तक की अवधि के कारावास से, या रु 1000/ तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में ऐसा दण्ड रु 500/ के जुर्माने से कम का नहीं होगा। **(धारा 147)**

11. यदि कोई व्यक्ति इस आशय या ज्ञान से कि वह रेल पर यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति का क्षेम संकटापन्न कर सकता है, विधि विरुद्ध किसी रेल के ऊपर कोई काष्ठ, पत्थर या अन्य पदार्थ या चीज रखता है, फेंकता है, या किसी रेलपटरी, स्लीपर को उठाता, हटाता, ढीला करता है, विस्थापित करता या किन्हीं प्वाइंटों को घुमाता, चलाता, खोलता या दिशाभंग करता है, या कोई सिग्नल या प्रकाश करता या दिखाता या उसे छिपाता या हटाता, या कोई अन्य कार्य करता या करवाता या करने का प्रयत्न करता है, तो वह आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक की अवधि के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा। जहाँ कोई व्यक्ति कठोर कारावास से दण्डनीय है, वहाँ ऐसा कारावास प्रथम अपराध के दोषसिद्धि की दशा में, तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के दोषसिद्धि की दशा में सात वर्ष से कम का नहीं होगा। कोई कार्य या बात किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से, ऐसे कार्य या बात के करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, या वह कार्य या बात इतनी आसन्नसंकट है कि पूरी संभाव्यता है कि वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर ही देगी या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगी जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है,तो वह मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय होगा। **(धारा 150)**

12. कोई व्यक्ति इस आशय या ज्ञान से कि रेल सम्पत्तियों को अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा

PURVA MIMAANSA

नुकसान सम्भाव्य है या नुकसान या नाश हो सकता है, या करता है, तो वह पांच वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। **(धारा 151)**

13. यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी के सामने, उसमें या उसके ऊपर कोई काष्ठ, पत्थर या अन्य पदार्थ या चीज इस आशय से या इस ज्ञान से रखता है कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा संकटापन्न हो सकती है, तो वह आजीवन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा। **(धारा 152)**

14. यदि कोई व्यक्ति किसी रेल पर यात्रा करने वाले या किसी व्यक्ति की सुरक्षा को किसी विधिविरुद्ध कार्य या जानबूझकर किये गये किसी लोप या उपेक्षा से संकटापन्न करेगा या करवायेगा या किसी रेल पर किसी चल स्टाक में बाधा डालेगा या डलवायेगा या प्रयत्न करेगा, तो वह पांच वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा। **(धारा 153)**

15. यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन से और उपेक्षापूर्ण रीति से कोई कार्य या लोप करेगा, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से आबद्ध है, और रेल पर यात्रा करने वाले या किसी व्यक्ति की सुरक्षा उस कार्य या लोप से संकटापन्न होनी सम्भाव्य है, तो वह एक वर्ष तक की अवधि के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा। **(धारा 154)**

16. यदि कोई यात्री किसी ऐसे कक्ष में प्रवेश करता है जो उसके उपयोग के लिये कोई शायिका या सीट के रूप में आरक्षित नहीं की गयी है, किसी शायिका या सीट पर अप्राधिकृत रूप से दखल करके, उसे तब छोड़ने से इंकार करता, जब ऐसा करने के लिये उसे प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा अपेक्षा की जाती है तब ऐसा रेल सेवक उसे, उस कक्ष, शायिका या सीट से हटा सकेगा और वह रु 500/ तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा। यदि कोई यात्री किसी ऐसे कक्ष में, जो प्रतिरोध करने वाले यात्री के उपयोग के लिये आरक्षित नहीं किया गया है, किसी अन्य यात्री के विधिपूर्ण प्रवेश का प्रतिरोध करेगा, तो वह रु 200/ तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा। **(धारा 155)**

17. यदि कोई यात्री या अन्य व्यक्ति, किसी रेल सेवक द्वारा प्रतिविरत रहने की चेतावनी दिये जाने के बाद भी किसी सवारी डिब्बे की छत, सीढ़ियों या पायदानों पर या इंजन पर या रेलगाड़ी के अन्य ऐसे किसी भाग में, जो यात्रियों के उपयोग के लिये आशयित नहीं है, यात्रा करता है, तो वह तीन मास तक की अवधि के कारावास से, या रु 500/ तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। **(धारा 156)**

PURVA MIMAANSA

18. यदि कोई यात्री अपने पास या टिकट में जानबूझकर फेरफार करता, विरूपित करता जिससे उसकी तारीख, संख्यांक या कोई तात्त्विक भाग अपठनीय हो जाता है, तो वह तीन मास तक की अवधि के कारावास से, या रु 500/तक के जुर्माने से, या दोनों, से दण्डनीय होगा। **(धारा 157)**

19. यदि किसी यान का कोई ड्राइवर या संवाहक, रेल परिसर में होते हुये किसी रेल सेवक या पुलिस अधिकारी के उचित निदेशों की अवज्ञा करता है, तो वह एक मास तक की अवधि के कारावास से, या रु500/ तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। **(धारा 159)**

20. रेल सेवक से भिन्न कोई व्यक्ति किसी समतल क्रासिंग के, जो सड़क यातायात के लिये बंद कर दिया गया है, दोनों ओर किसी स्थापित फाटक या चेन या रोध को खोलेगा तो वह तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी समतल क्रासिंग के, जो सड़क यातायात के लिये बन्द कर दिया गया है, दोनों ओर स्थापित किसी फाटक या चेन या रोध को तोड़ेगा, तो वह पांच वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा। **(धारा 160)**

21. यदि किसी यान को चलाने या ले जाने वाला कोई व्यक्ति किसी समतल क्रासिंग को, जिस पर कोई आदमी नहीं है, उपेक्षापूर्वक पार करेगा, तो वह एक वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा। **(धारा 161)**

22. यदि कोई पुरुष यह जानते हुये या यह विश्वास करने का कारण रखते हुये कि किसी रेलगाड़ी में कोई सवारी डिब्बा, कक्ष, शायिका या सीट अथवा कोई कमरा या अन्य स्थान रेल प्रशासन द्वारा महिलाओं के अनन्य उपयोग के लिये आरक्षित किया गया है, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना महिला सवारी डिब्बे, कक्ष, कमरे में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के पश्चात् उसमें बना रहता है, या किसी रेल सेवक द्वारा ऐसी शायिका या सीट को खाली करने की अपेक्षा करने पर भी उस पर दखल रखता है, तो उसका पास या टिकट जब्त किया जायेगा और रू 500/तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा। **(धारा 162)**

23. यदि कोई व्यक्ति, जिससे माल का वर्णन देने की अपेक्षा की जाती है, तात्त्विक रूप से मिथ्या वर्णन करताहै, तो वह और यदि वह माल का स्वामी नहीं है तो स्वामी भी, किसी माल–भाड़े या अन्य प्रभार का संदाय करने के अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे माल के प्रति क्विंटल या उसके भाग के लिये रू 500/तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

24. यदि कोई व्यक्ति अपने साथ कोई परिसंकटमय माल वहन के लिये ले जाता है, या किसी ऐसे माल को वहन के लिये रेल प्रशासन को सौंपता है, तो वह तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास

से, या रु1000/तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा और ऐसे माल को रेल पर ले जाने के कारण हुई किसी हानि, क्षति या नुकसान के लिये भी दायी होगा। **(धारा 164)**

25. यदि कोई व्यक्ति अपने साथ कोई घृणोत्पादक माल वहन के लिये ले जाता है, या ऐसा माल वहन के लिये रेल प्रशासन को सौंपता है, तो वह रू 500/तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा और ऐसे माल को रेल पर ले जाने के कारण हुई किसी हानि, क्षति या नुकसान के लिये भी दायी होगा। **(धारा 165)**

26. यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना रेल प्रशासन के आदेश द्वारा रेल या किसी चल स्टाक पर लगाये गये या चिपकाये गये किसी बोर्ड या दस्तावेज को जानबूझकर नुकसान पहुँचाता है या उखाड़ता है या किसी ऐसे बोर्ड या दस्तावेज या किसी चल स्टाक पर के किन्हीं अक्षरों या अंकों को मिटाता या बदलता है,तो वह एक मास तक के कारावास से, या रू 500/तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। **(धारा 166)**

27. यदि रेलगाड़ी के किसी कक्ष में कोई यात्री धूम्रपान पर आक्षेप करता है, तो कोई भी व्यक्ति उस कक्ष में धूम्रपान नहीं करेगा। रेल प्रशासन किसी रेलगाड़ी या रेलगाड़ी के किसी भाग में धूम्रपान निषिद्ध कर सकेगा। उल्लंघन करने पर रू 100/तक का जुर्माने से दण्डनीय होगा। **(धारा 167)**

28. यदि कोई रेल सेवक ड्यूटी पर होते हुये मत्तता की हालत में होगा, तो वह जुर्माने से, जो रु500/ तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जब ऐसी हालत में किसी कर्तव्य के पालन किये जाने से रेल पर यात्रा करने वाले या उसमें विद्यमान किसी व्यक्ति की सुरक्षा संकटापन्न होनी संभाव्य हो, तब ऐसा रेल सेवक एक वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा। **(धारा 172)**

29. यदि किसी रेल सेवक को, जो ड्यूटी पर है, किसी रेलगाड़ी या अन्य चलस्टाक को एक स्टेशन या स्थान से दूसरे स्टेशन या स्थान तक चलाने के सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, और वह उस स्टेशन या स्थान पर पहुंचने से पहले, प्राधिकार के बिना या ऐसी रेलगाड़ी या चलस्टाक को किसी अन्य प्राधिकृत रेल सेवक को समुचित रूप से सौंपे बिना अपनी ड्यूटी का परित्याग कर देता है, तो वह दो वर्ष तक के कारावास से, या रु1000/तक का जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। **(धारा 173)**

PURVA MIMAANSA

30. यदि कोई रेल सेवक ड्यूटी पर होते हुये, या अन्यथा, या कोई अन्य व्यक्ति रेल पटरी पर बैठ कर रेल रोको आंदोलन या बंद के दौरान या रेल पर बिना प्राधिकार कोई चल स्टाक रखकर या रेल के होजपाइप में छेड़छाड़ करके, उसे विलग करके या किसी अन्य रीति से उसे बिगाड़ कर या सिग्नल गियर से छेड़छाड़ करके या अन्यथा, रेल पर किसी रेलगाड़ी या अन्य चल स्टाक को बाधा पहुँचाता है या पहुँचाने का प्रयत्न करता है, तो वह दो वर्ष तक के कारावास से, या रु 2000/ तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। **(धारा 174)**

31. यदि कोई रेल सेवक जो ड्यूटी पर है, किसी नियम की अवज्ञा करके या किसी अनुदेश, निदेश या आदेश की अवज्ञा करके या किसी उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण कार्य या लोप द्वारा, किसी व्यक्ति की सुरक्षा को संकटापन्न करता है, तो वह दो वर्ष तक के कारावास से, या रु1000/ तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। **(धारा 175)**

32. यदि कोई रेल सेवक अनावश्यक रूप से किसी चलस्टाक को ऐसे स्थान के आर–पार खड़ा रहने देगा जहाँ रेल किसी लोक मार्ग को समतल पर पार करती है, या समतल क्रासिंग को जनता के लिये बन्द रखेगा,तो वह रु100/ तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा। **(धारा 176)**

रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत गिरफ्तारी के अधिकार

कोई व्यक्ति रेल अधिनियम, 1989 की धारा 137–139, धारा 141–147, धारा 153–157, धारा 159–167, और धारा 172–176 तक में वर्णित कोई अपराध करता है,तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वारण्ट या अन्य किसी लिखित प्राधिकार के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 150–152 के अन्तर्गत कोई अपराध करता है, तो हेड कॉंस्टेबल की पंक्ति से अनिम्न का रेल सेवक या पुलिस अधिकारी वारण्ट या अन्य लिखित प्राधिकार के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। गिरफ्तारी सहज बनाने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सहायता हेतु बुला सकेगा। कोई व्यक्ति धारा 137–139, धारा 141–147, धारा 153–157, धारा 159–167 और धारा 172–176 तक में वर्णित अपराध से भिन्न कोई अपराध करता है, या धारा 138 के अधीन मांगे गये अधिक प्रभार या अन्य राशि के संदाय के लिये दायी है, अपना नाम और पता देने में असफल रहता है, या देने से इंकार करता है, या जहाँ यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि उसके द्वारा दिया गया नाम और पता कल्पित है, या यह कि वह फरार हो जायेगा, तो प्राधिकृत अधिकारी वारण्ट या लिखित प्राधिकार के बिना उसे गिरफ्तार कर सकेगा। गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को जब तक कि उसे जमानत देने पर या यदि उसका सही नाम और पता अभिनिश्चित कर लिया गया है, तो उस अपराध के लिये उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी

PURVA MIMAANSA

हाजिरी के लिये प्रतिभुओं के बिना बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर, उसे पहले ही नहीं छोड़ दिया जाता है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घण्टे की कालावधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा। जमानत देने और बन्धपत्र के निष्पादित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 23 के उपबन्ध लागू होंगे।

रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अपराधों की जॉच करने की प्रक्रिया

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी धारा 137 से 139, धारा 141 से 147, धारा 153 से 157, धारा 159 से 167 और धारा 172 से 176 तक में वर्णित अपराध से भिन्न कोई अपराध के किये जाने की जाँच कर सकेगा और यदि यह पाया जाता है कि वह अपराध किया गया है, तो सक्षम न्यायालय में परिवाद फाइल कर सकेगा। जाँच के दौरान सक्षम अधिकारी किसी व्यक्ति को समन करने, हाजिर होने, कथन अभिलिखित करने, किसी दस्तावेज को प्रकट या पेश करने की अपेक्षा करने, किसी कार्यालय, प्राधिकारी या व्यक्ति से कोई लोक दस्तावेज या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करने, किसी परिसर में प्रवेश करने, तलाशी लेने, किसी जाँच की सुसंगत विषयवस्तु (सम्पत्ति या दस्तावेज) को अभिग्रहण करने की शक्ति होगी। किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण करते समय प्राधिकृत अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपबन्धित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

प्राधिकृत अधिकारी की यह राय है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध संदेह करने का पर्याप्त आधार है, तो वह उसे मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत के लिये पेश करेगा या मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में भेजेगा। यदि प्राधिकृत अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सन्देह का पर्याप्त साक्ष्यया युक्तियुक्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को, प्रतिभूओं सहित या रहित, उसके बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ देगा। तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी। जो कोई जाँच कार्यवाहियों में साशय अपमानया कोई विघ्न कारित करेगा, अथवा जाँच अधिकारी के समक्ष जानबूझकर मिथ्या कथन करेगा, वह छह मास तक के सादा कारावास से, या रु 1000/ तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

उपसंहार

रेल अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित दण्ड की मात्रा और अपराध के स्वरूप की बात करते हैं तो वर्तमान में प्रासंगिकता अनुपातिक कम प्रतीत होती है। वर्तमान परिवेश में अपराध के बदलते तकनीकी स्वरूप में समन्वय स्थापित करने में अधिनियम पूर्णरूपेण सफल नहीं हो पा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी के नूतन दौर में साइबर अपराध की बढ़ती भूमिका भी इस अधिनियम में उपेक्षित रही है। वर्तमान में इस अधिनियम में दण्ड की मात्रा, साइबर अपराध के विभिन्न स्वरूपों को संशोधित रूप में शामिल करने की आवश्यकता है।

अन्त में यह कह सकते हैं कि अधिनियम में दण्ड की पर्याप्त मात्रा (जो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप की गयी थी) अपराध निवारण के लिये पर्याप्त थी, परन्तु वर्तमान में यह दण्ड की पर्याप्त मात्रा, एवं सूचना एवं तकनीकी विधा से होने वाले अपराधों (साइबर अपराध) ने इस अधिनियम के संशोधन की महती आवश्यकता पर बल दिया है। विधि मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय को इस विषय पर शीघ्रता से विचार करना चाहिए जिससे कि इस अधिनियम की प्रासंगिकता वर्तमान में भी बनी रहे।

सन्दर्भ सूची

रेल अधिनियम, 1890

रेल अधिनियम, 1989

रेल (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003, यह संशोधित अधिनियम 01.07.2004 से प्रवर्तन में है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

सं0अधि0सं0 56–2003 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित (दि0 01–07–2004 से प्रभावी)।

सं0अधि0सं0 56–2003 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित (दि0 01.07.2004 से प्रभावी)।

PURVA MIMAANSA